संगठन का स्वरूप

अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी युवा संगठन की स्थापना सन् १९७२ में महासभा के कलकत्ता अधिवेशन में हुई। युवा संगठन का एक सत्र सामान्य स्थिति में तीन वर्ष का होता है, वैसे इसका सत्रावान महासभा के सत्र के बीच ४-५ माह का समय और लग जाता है। संगठन का अपना विधान है। इस विधान के अनुरूप स्थानीय, जिला, प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर के संगठन का विस्तार है।

अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी युवा संगठन की स्थापना सन् १९९२ में महासभा के कलकत्ता अधिवेशन में हुई। युवा संगठन के राष्ट्रीय विधाननुसार पूरे भारतवर्ष को पूर्वांचल, उत्तरांचल, पश्चिमांचल व दक्षिणांचल-चार अंचलों में विभाजित किया गया है। इन चार अंचलों में २२ प्रदेश बनाये गये हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इन प्रदेशों का निर्धारण हमारे समाज की संख्या व भौगोलिक स्थिति के अनुसार किया गया है। इस भाति हमारे अंचलों का निर्धारण भी सामाजिक परिस्थितियों की अनुकूलता के हिसाब से किया गया है। जैसे पूर्वांचल के अंचल में नेपाल को भी प्रदेश के रूप में शामिल किया है एवं महाराष्ट्र, विदर्भ, मुम्बई इन तीनों अलग-अलग प्रदेशों के रूप में दक्षिणांचल में शामिल किया गया है। कलकत्ता/दिल्ली/मुम्बई इन तीनों महानगरों के प्रदेश माना गया है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश बड़े राज्य हैं। अतएव इन्हें पूर्वी/मध्य/पश्चिमी तीन प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कर्नाटक के साथ गोवा एक प्रदेश है व पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर को मिलाकर एक प्रदेश बनाया गया है। इन २२ प्रदेशों से निर्धारित संख्या में कार्यकारी मंडल व कार्यसमिति हेतु सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। इन सदस्यों में से पदाधिकारियों व निर्वाचन प्रक्रिया का एक उदाहरण देखें-

विधानानुसार राजस्थान प्रदेश से २७ सदस्य कार्यकारी मंडल हेतु चुन जाते हैं। अब राजस्थान प्रदेश के युवा संगठन द्वारा राजस्थान के सभी जिलों से करते हुए वहाँ से २७ सदस्यों का चुनाव करना होता है। जिन जिलों में ज्यादा संगठन व परिवार संख्या अधिक हैं, वहाँ एक से अधिक सदस्यों का निर्धारण भी किया जा सकता है, और जहाँ कम है उन २-३ जिलों को मिलाकर एक ही सदस्य का चुनाव किया जा सकता है। इन सभी २७ सदस्यों का चुनाव प्रदेश के विधानानुसार होता है। इसमें राष्ट्रीय संगठन का कोई दिशा-निर्देश नहीं रहता है। अब इन २७ सदस्यों द्वारा अपने में से ३ सदस्य कार्यसमिति हेतु चुने जातें है। इस तरह राष्ट्रीय कार्यसमिति हेतु ३ व कार्यकारी मंडल हेतु २४ सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक संगठन द्वारा किया जाता है। इसी भाँति सब प्रदेशों द्वारा कार्यवाही मंडल व कार्यसमिति सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है।

कार्यकारी मंडल- इसमें प्रदेशों से चुने हुए २२०/ सदस्य गत सत्र के पदाधिकारी/पदेन सदस्य/अध्यक्ष द्वारा मनोनीत १० सदस्य वर्तमान पदाधिकारी एवं भूतपर्व अध्यक्ष/महामंत्री अदि कुल मिलाकर करीब ३१० सदस्य हो जाते हैं। कार्यकारी मंडल की वर्ष में कम से कम एक बैठक व आवश्यकतानुसार अधिक भी हो सकती है। कार्यकारी मंडल सदस्य को पूरे सत्र हेतु रू १०००/- सदस्यता शुल्क रूप में देने होते हैं। इन सदस्यों को संगठन की प्रथम बैठक में न्यूनतम कार्य विभाजन जिम्मेदारी सौंप दी जाती है।

कार्यसमिति-कार्यकारी मंडल सर्वोच्च इकाई है लेकिन कार्य व्यवस्था हेतु कार्यसमिति की प्रमुखता रहती है। इसमें कुल २२ प्रदेशों से २७ सदस्यों का निर्वाचन होता है। इसके साथ वर्तमान पदाधिकारी, गत सत्र के अध्यक्ष महामन्त्री व मुख-पत्र के सम्पादक भी कार्यसमिति के पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष को तीन सदस्य मनोनीत करने का अधिकार भी होता है। इस तरह कार्यसमिति में पदाधिकारी/प्रदेशों से निर्वाचित सदस्य/पदेन सदस्य के मनोनीत सदस्य कुल मिलाकर ४८ होते हें। इस समिति की बैठकें वर्ष में कम से कम दो आवश्यकतानुसार अधिक भी हो सकती है। इसके सदस्यों को सत्र शुल्क में २०००/- एवं पदाधिकारियों को ५०००/- प्रति सत्र देना होता है।

अध्यक्ष-राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन एक विशेष पद्धति द्वारा किया जाता है। कार्यसमिति से चुने हुए एवं पदेन अर्थात कुल ४८ सदस्यों द्वारा अपने मे से अधिकतम तीन नाम का चयन करके महासभा को प्रेषित किया जाता है महासभा द्वारा इन तीन में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष मनोनीत/घोषित किया जाता है। युवा संगठन के अध्यक्ष द्वारा संगठन के अन्य पदाधिकारी का चयन महासभा की अनुशंसा पर किया जाता है, अर्थात अध्यक्ष को अपने साथी पदाधिकारियों का चयन अपनी इच्छा से करने का अवसर मिलता है।

कार्य व्यवस्था- राष्ट्रीय संगठन दिशा-निर्देश का काम एवं राष्ट्रीय आयोजनों का निर्धारण करता है, लेकिन इनकी प्रमुख कार्य व्यवस्था का माध्यम प्रादेशिक संगठन होते हैं। प्रदेशों हेतु भी मॉडल प्रादेशिक विधान पारित हुआ है। आगामी सत्र में प्रदेशों का गठन भी इसी अनुरूप करने का पूरा प्रयास रहेगा।

संगठन का मुखपत्र युवा माहेश्वरी संदेश इन्दौर से प्रकाशित होता है। इसकी सदस्यता हेतु उम्र की सीमा नही रखी गई है। ज्ञातव्य रहे युवा संगठन की उम्र की सीमा १८ से ४० वर्ष तक है। इसमें युवक/युवती दोनों ही शामिल है। आवश्यकतानुसार संगठन द्वारा विभिन्न समितियों संयोजकों का गठन व मनोनयन किया जाता है।

पदाधिकारियों व सदस्यों की जागरूकता पर ही राष्ट्रीय संगठन की सक्रियता निर्भर करती है। निर्धारित जवाबदारी, सदस्यता शुल्क आपसी पत्राचार, बैठकों में उपस्थिति बैठकों के निर्णायानुसार कार्यो का सम्पादन करने पर ही संगठन की चैतन्यता उल्लेखनीय रूप में आगे बढ़ती है। अतएव युवा साथियों को इन बातों को आत्मसात करते हुए राष्ट्रीय संगठन में सहभागी बनना चाहिए।